27.1.2025 पत्रावली आज पेश हुई। माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 05.04.2023 से प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 22.11.2024 से प्रकरण विड्रो होकर प्राप्त हुआ है। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया गया है कि पूर्व में अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2022 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 05.04.2023 द्वारा निरस्त कर दिया है व पुनः दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमानुसार एव विधि सम्वत निर्णय पारित करने का आदेश दिये है। पत्रावली में दिनांक 23.05.2024 को प्रार्थी बुधराम पुत्र रामकरण एवं अप्रार्थी संख्या 5 संजीव पुत्र कृष्ण मोहन यादव के मध्य रास्ता स्वीकृति बाबत लिखित राजीनामा पेश है। जो रिकार्ड पर लिया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति 251—ए आरटीए स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बुधराम की मांग पर अप्रार्थी संख्या 5 संजीव कुमार की खातेदारी कृषि भूमि चक 7 एएमपी प.न. 159/153 मु.न. 39 के किला नं. 1/4 मे मौका पर 0.025 के स्थान पर 0.0165 है.(12 फुट चौड़ा रास्ता व किला नं. 10/2 में 0.025 के स्थान पर 0.0184 है. (12 फुट चौड़ा रास्ता) स्वीकृत किया जाता है उंक्त रास्ता के एवज में प्रार्थी बुधराम की खातेदारी कृषि भूमि किला नं. 12 में 0.0184 है. (उतरी दिशा में किला नं. 9 से चिपता) व कि.न. 11 मे से 0.0165 है. (उत्तरी पश्चिम कोने पर 16½ जगह छोड़कर किला नं. 10 से चिपती) कृषि भूमि अप्रार्थी 5 संजीव कुमार के चिपती दर्ज की जावें। उक्तानुसार गै.मु. रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार संगरिया दर्ज करें एव रास्ता भूमि के एवज में दी गई भूमि अप्रार्थी 5 संजीव कुमार के खाते में प्रार्थी के खाते से कम की जावे। उक्तानुसार पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया